उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– / V-2/2018–79(आ0) / 2016टी0सी0
देहरादूनः दिनांक 21 मार्च, 2018

कार्यालय आदेश

भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 की धारा–20 के अधीन विधिवत् भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण के गठन होने तक सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नियामक प्राधिकारी के रूप में शासनादेश संख्या–1117 / V-2/2017-18(आ0) / 2017 दिनांक 28 जुलाई, 2017 द्वारा अधिकृत किया गया था। भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है सम्प्रति कार्मिकों की तैनाती होने में अभी समय लगने की सम्भावना है। संगत अधिनियम एवं नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जानी है।

अतः प्राधिकरण के कार्यो के सुचारू संचालनार्थ के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण के कार्यो हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में स्थापित रेरा सेल में सम्बद्ध कार्मिक अग्रिम आदेशों तक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में अपने पटल से सम्बन्धित कार्यो के साथ–साथ उत्तराखण्ड भू–संपदा नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्यो का भी संपादन करते रहेंगे। इस हेतु उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन / भत्ता / मानदेय देय नहीं होगा।

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या–499 / V-2/2018–79(आ0) / 2016 टी0सी0–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून को उपर्युक्त विषयक उनके पत्र संख्या–1511 दिनांक 20–3–2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव